फगवाड़ा सुधार ट्रस्ट

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य

10 अक्टूबर, 1990

[न्यायाधिपति बी. सी. रे और न्ययाधिपति एन. एम. कासलीवाल]

पंजाब नगर सुधार ट्रस्ट अधिनियम, 1922 धारा 24, 28, 36,38 और 101 - भूमि का अधिग्रहण, प्रभावित व्यक्तियों पर व्यक्तिगत नोटिस सेवा - सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की आवश्यकता, आपितयां दर्ज करने की अंतिम तिथि से पहले गैर-प्रकाशन -क्या यह पूरी योजना के प्रकाशन को अवैध और गलत बनाता है।

अपीलकर्ता ट्रस्ट ने पंजाब टाउन इम्प्र्वमेंट ट्रस्ट अधिनियम, 1922 के प्रावधानों के तहत उत्तरदाताओं सिहत कुछ भूमि को कवर करते हुए एक विकास योजना तैयार की। आपितयाँ आमंत्रित करने की सूचना 9, 16 और 23 अप्रैल 1976 को एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी। इसे 7, 14 और 21 मई, 1976 को पंजाब सरकार के राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया था। आपितयाँ भरने की अंतिम तिथि 5 मई, 1976 थी। अधिनियम की धारा 36 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को नोटिस भी दिया गया, जिसकी भूमि का अधिग्रहण किया जाना था। अधिग्रहण की

औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, अधिनियम की धारा 42 के तहत अधिसूचना 26 मार्च, 1979 को प्रकाशित की गई।

प्रतिवादी नंबर 2 और अन्य ने रिट याचिकाओं के माध्यम से अधिनियम के तहत अधिसूचित योजना को इस आधार पर चुनौती दी कि वे 5 मई, 1976 तक आपितयां दर्ज नहीं कर सके क्योंकि अधिसूचना उसके बाद ही राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और योजना को मंजूरी देने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया, हालांकि, यह देखा गया कि अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 36 के तहत संशोधित या असंशोधित योजना को फिर से प्रकाशित कर सकता है और कानून के अनुसार आगे बढ़ सकता है। उक्त आदेश के खिलाफ, लेटर्स पेटेंट अपील दायर की गई, जिसे खंड पीठ ने खारिज कर दिया। अपीलकर्ता ने इन अपीलों को विशेष अनुमित द्वारा प्राथमिकता दी है।

अपीलकर्ता की ओर से, मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि आपितयों पर विचार न करने और सरकार द्वारा तथ्यों की अनदेखी में योजना को मंजूरी देने से उत्पन्न होने वाली दुर्बलता, अधिनियम की धारा 42(2) के प्रावधानों द्वारा ठीक की गई है। यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 और अन्य ने व्यक्तिगत नोटिस के जवाब में आपितयां दर्ज की थीं, इसलिए उन्हें प्रस्तावित सुधार योजना के खिलाफ आपितयां उठाने से रोक दिया गया है।

उत्तरदाताओं की ओर से अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया गया कि प्रस्तावित योजना के खिलाफ आपितयां दर्ज करने की अविध समाप्त होने से पहले सरकारी राजपत्र में योजना का प्रकाशन नहीं होने के कारण, योजना के खिलाफ आपितयां दर्ज करने का उत्तरदाताओं का मूल्यवान अधिकार समाप्त हो गया है। अधिनियम की धारा 36 में निहित अनिवार्य प्रावधान के विपरीत।

अपीलों को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

- 1. यह कहना समझ से परे है कि आपितयां दाखिल करने की तारीख की समाप्ति से पहले सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित नहीं करने से पंजाब टाउन इम्प्र्वमेंट ट्रस्ट अधिनियम, 1922 की धारा 36 के प्रावधानों का पालन न करने से प्रकाशन का उल्लंघन होता है। संपूर्ण विकास योजना अवैध एवं गलत । [234 ए]
- 2. अधिनियम की धारा 38 के साथ पठित धारा 36 के प्रावधान का विधायी उद्देश्य प्रस्तावित योजना से प्रभावित मालिकों और कब्जाधारियों को न केवल योजना के खिलाफ बल्कि योजना के अंतर्गत आने वाली उनकी भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ भी आपत्तियां दर्ज करने का उचित अवसर प्रदान करना है। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए न केवल सरकारी राजपत्र और समाचार पत्र में अधिसूचनाएं प्रकाशित की जानी हैं, बल्कि प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को योजना के अंतर्गत आने वाले भूमि के

भूखंडों के विवरण के साथ व्यक्तिगत नोटिस भी दिए जाने हैं और एक के साथ अधिग्रहण करने का प्रस्ताव दिया गया है। उन्हें योजना के साथ-साथ उनकी भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण के खिलाफ आपत्तियां दर्ज करने का पर्याप्त अवसर देने की दृष्टि से। [233 जी-एच]

3. वर्तमान मामले में, विकास योजना अपीलकर्ता-ट्रस्ट द्वारा तैयार की गई थी, और अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों के अन्सार अधिसूचित की गई थी। जहां तक अप्रैल, 1976 में लगातार तीन हफ्तों में समाचार पत्र 'ट्रिब्यून' में योजना का प्रकाशन, 1 मई, 1976 तक आपत्तियां आमंत्रित करना उक्त धारा के प्रावधानों के अनुरूप है। हालाँकि, लगातार तीन सप्ताह में प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना इस योजना के खिलाफ आपत्तियाँ दर्ज करने की अवधि समाप्त होने के बाद की गई थी। कथित अधिनियम की धारा 38 के तहत कथित रूप से व्यक्तिगत नोटिस उक्त योजना के अंतर्गत आने वाली और अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के सभी मालिकों और कब्जाधारियों को विधिवत रूप से दिए गए थे और प्रतिवादी संख्या 2 और अन्य ने अपनी भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण के खिलाफ आपत्तियां स्वीकार कीं। प्रतिवादी संख्या 2 और अन्य को सुनने के बाद उक्त आपत्तियों पर विधिवत विचार किया गया और राज्य सरकार द्वारा योजना को मंजूरी देते हुए नोटिस जारी किया गया। इन परिस्थितियों में, प्रतिवादी नंबर 2 और अन्य के लिए यह उचित नहीं है कि वे केवल इस दलील पर

योजना को चुनौती दें कि राजपत्र अधिसूचना विधिवत प्रकाशित नहीं हुई थी। [233 सी-एफ]

प्रोफेसर जोध सिंह और अन्य बनाम जुललुंदूर विकास ट्रस्ट जुललुंदूर और अन्य ए आई आर 1984 पंजाब 398

[इस न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को रद्द कर दिया।] [234 डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:सिविल अपील संख्या 5036-39/1989

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 22.10.1984 के निर्णय एवं आदेश से, जो कि एल.पी.ए. 1982 की संख्या 696, 695, 694 और 697 में पारित किया गया।

जी. एल. सांघी, ध्रुव मेहता (एन. पी.), अमन वचेर और एस. के.मेहता अपीलार्थी के लिए।

वी. सी. महाजन, तपस रे, ए. मिनोचा, के. आर. नागराजा औरआर. एस. सोधी उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

विशेष अनुमित पर ये अपीलें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा लेटर्स पेटेंट अपील नंबर: 694 से 697/1982 में पारित फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित हैं, जिसमें अपीलों को लागत के साथ खारिज कर दिया गया था। जिन मुख्य तथ्यों से ये अपीलें उठी हैं, वे इस प्रकार हैं:

अपीलकर्ता ट्रस्ट ने धारा 28 के साथ पठित धारा 24 के तहत एक विकास योजना तैयार की। पलानी रोड पर लगभग 60 एकड भूमि के क्षेत्र के संबंध में पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अधिनियम, 1922 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित)। उत्तरदाताओं की भूमि उक्त क्षेत्र में आती है। 9 अप्रैल, 1976 को अधिनियम की धारा 36 के तहत एक नोटिस दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित किया गया था जिसमें 5 मई, 1976 तक आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। यह नोटिस उक्त समाचार पत्र के लगातार तीन सप्ताह दिनांक 9 अप्रैल. 15 अप्रैल और 23 अप्रैल. 1976 में प्रकाशित किया गया था। उक्त योजना का नोटिस पंजाब सरकार के राजपत्र में उक्त अधिनियम की धारा 36 के तहत लगातार तीन सप्ताह यानी 7 मई, 14 मई और 21 मई, 1976 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें तैयार की गई योजना के खिलाफ 5 मई, 1976 तक आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। उक्त अधिनियम की धारा 38 के प्रावधानों के अनुसार ट्रस्ट ने प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर योजना के क्रियान्वयन में प्रस्तावित क्षेत्र के भीतर आने वाली किसी भी अचल संपत्ति पर कब्जा करने वाले या मालिक होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नोटिस भी दिया। धारा 36 के तहत नोटिस, ताकि ऐसे परिसर के मालिकों और कब्जाधारियों को ऐसे अधिग्रहण पर आपत्तियां दर्ज करने और नोटिस की सेवा के 60 दिनों की अवधि के भीतर

लिखित रूप में अपने तर्क बताने में सक्षम बनाया जा सके। अधिग्रहण की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, उक्त अधिनियम की धारा 42 के तहत एक अधिसूचना 26 मार्च 1979 को प्रकाशित की गई थी। प्रतिवादी संख्या 2 और अन्य ने 1979 के सीडब्ल्यूपी संख्या 2561 और 1981 के सीडब्ल्यूपी संख्या 4075, 3615, 3654 में अधिनियम के तहत अधिसूचित अपीलकर्ता की योजना पर हमला किया। इस आधार पर कि वे 5 मई 1976 तक अधिनियम की धारा 36 के संदर्भ में योजना के खिलाफ आपत्तियां दर्ज नहीं कर सके क्योंकि अधिसूचना 7 मई, 14 मई और 21 मई, 1976 को पंजाब सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। ये रिट याचिकाएं थीं 25 फरवरी, 1982 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई और अधिनियम की धारा 42 के तहत अधिसूचित स्वीकृत योजना को रद्द कर दिया गया। उक्त आदेश में यह भी उल्लेख किया गया था कि अपीलकर्ता, हालांकि, उक्त अधिनियम की धारा 36 के तहत संशोधित या असंशोधित योजना को फिर से प्रकाशित कर सकता है और कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ सकता है। इसी आदेश के विरुद्ध एलपी.ए. संख्या 694 से 697 सन् 1982 दाखिल किये गये थे। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले और आदेश की पुष्टि की और माना कि अधिनियम की धारा 36 में निहित प्रावधान अनिवार्य थे और चूंकि वर्तमान मामलों में इसका अन्पालन नहीं किया गया था, इसलिए इसका अन्पालन न करना अवैध है। धारा 36 में निहित अनिवार्य प्रावधान अधिनियम की

धारा 101 (1)(डी) के तहत ठीक नहीं होंगे। इसलिए लेटर्स पेटेंट अपीलें खारिज कर दी गईं।

इस फैसले और आदेश के खिलाफ इस अदालत में विशेष अनुमति पर त्वरित अपील दायर की गई है, प्रतिवादी नंबर 2 और अन्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री महाजन ने बह्त दृढ़ता से तर्क दिया है कि उक्त अधिनियम की धारा 36 के प्रावधान अनिवार्य हैं। क्योंकि इसमें अधिनियम के तहत योजना की रूपरेखा के बारे में नोटिस को आधिकारिक राजपत्र के साथ-साथ अखबार में लगातार तीन सप्ताह में आपत्तियां आमंत्रित करने वाले एक बयान के साथ प्रकाशित करने का प्रावधान है। हालाँकि यह नोटिस समाचार पत्र 'ट्रिब्यून' में 9, 16 और 23 अप्रैल, 1976 को लगातार तीन सप्ताह तक प्रकाशित किया गया था, जिसमें 5 मई, 1976 तक आपतियाँ दर्ज करने की तारीख अधिसूचित की गई थी, फिर भी यह अधिसूचना पंजाब सरकार के राजपत्र में लगातार तीन बार प्रकाशित ह्ई थी। आपत्तियां दाखिल करने की अविध की समाप्ति के बाद यानी 5 मई, 1976 को सप्ताह स्वीकार किया गया था। इसलिए, श्री महाजन द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आपत्तियां दाखिल करने की अवधि की समाप्ति से पहले सरकारी राजपत्र में योजना का प्रकाशन न होने के कारण प्रस्तावित योजना के खिलाफ, योजना के खिलाफ आपत्तियां दर्ज करने का उत्तरदाताओं का मूल्यवान अधिकार समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार योजना के प्रकाशन को नीचे की अदालतों द्वारा सही ढंग से रद्द कर दिया गया था क्योंकि इस अनिवार्य आवश्यकता का अनुपालन राज्य द्वारा नहीं किया गया था। इस संबंध में, उन्होंने प्रोफेसर जोध सिंह और अन्य बनाम जुलुंदूर इम्पूवमेंट ट्रस्ट जुलुंदूर और अन्य एआईआर 1984 पंजाब 398 के मामले का हवाला दिया है। इस मामले का फैसला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा किया गया था कि क्या अधिसूचना जारी की जाएगी पंजाब नगर सुधार अधिनियम, 1922 की धारा 42 की उप-धारा (1) के तहत, किसी भी कारण से योजना की वैधता या उसकी सरकारी मंजूरी को चुनौती देना वर्जित होगा, जिसमें यह कारण भी शामिल है कि योजना को अनुपालन के बिना तैयार और स्वीकृत किया गया था। अनिवार्य प्रावधानों में से विशेष रूप से अधिनियम की धारा 36, 38 और धारा 40 की उपधारा (1) में यह माना गया था कि:

"चूंकि दिए गए प्रावधान न केवल योजना को सरल बनाने का प्रावधान करते हैं, बल्कि योजना के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए संपत्ति के अधिग्रहण का भी प्रावधान करते हैं और चूंकि किसी भी व्यक्ति को उसकी बात सुने बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है और कोई भी तब तक सुनवाई की मांग नहीं कर सकता है जब तक वह जानता है कि उसे उसकी संपत्ति से वंचित किया जा रहा है, इसलिए, आवश्यक निहितार्थ से, किसी व्यक्ति की संपत्ति प्राप्त करने के अधिकारियों के इरादे की

स्चना उसे अधिग्रहण के खिलाफ अपनी आपितयों को संबंधित प्राधिकारी के ध्यान में लाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। उसकी संपत्ति इसलिए आपितयों को उठाने के लिए नोटिस और आपित के समर्थन में व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान करने वाले प्रावधान चरित्र में अनिवार्य होंगे।"

उस मामले में समय पर आपित प्रस्तुत करने वाले याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 38 के तहत नोटिस जारी किया गया था। ट्रस्ट की ओर से दायर रिटर्न में यह स्वीकार किया गया कि अनदेखी के कारण याचिकाकर्ताओं को अन्य आपितकर्ताओं के साथ सुनवाई के लिए नहीं बुलाया जा सका क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपितयां अनजाने में किसी अन्य फाइल में रख दी गई थीं और उसी के लिए कारण, ट्रस्ट द्वारा उनकी आपितयों पर न तो विचार किया गया और न ही उक्त योजना की मंजूरी के समय प्रस्तुत आपितयों के सारांश के साथ राज्य सरकार को भेजा गया। -याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपितयों पर ट्रस्ट द्वारा विचार करना और उक्त तथ्य की अनदेखी में सरकार द्वारा योजना की मंजूरी अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (2) के प्रावधानों से ठीक हो गई। उसी संदर्भ में पूर्ण पीठ द्वारा उपरोक्त टिप्पणी की गई थी।

श्री महाजन ने आगे तर्क दिया कि यद्यपि कथित अधिनियम की धारा 33 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 और अन्य को नोटिस जारी किए गए थे, जो या तो अपीलकर्ता की सुधार योजना के अंतर्गत आने वाली भूमि के मालिक या कब्जाधारी हैं - और प्रतिवादी संख्या 2 और अन्य ने अपनी भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण के खिलाफ आपत्तियां दर्ज की थीं, फिर भी उक्त अधिनियम की धारा 38 के तहत जारी किए गए व्यक्तिगत नोटिस के आधार पर प्रतिवादी नंबर 2 और अन्य को प्रस्तावित सुधार योजना के खिलाफ आपत्तियां उठाने से रोक दिया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 38 के तहत उक्त योजना से प्रभावित भूमि के मालिक और कब्जाधारी केवल अपनी भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण पर आपति कर सकते हैं, लेकिन वे प्रकाशित योजना के खिलाफ आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते हैं। इसलिए, प्रतिवादी नंबर 2 और अन्य, उक्त अधिनियम की धारा 36 में दिए गए योजना के खिलाफ आपत्तियां दर्ज करने के अपने अधिकार से वंचित हैं और इसलिए राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन को देखते हुए, विकास योजना को केवल इसलिए लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 42 के तहत योजना की मंजूरी को अधिसूचित कर दिया है।

दूसरी ओर अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उक्त अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों के अनुपालन में विकास योजना के निर्धारण के संबंध में समाचार पत्र 'ट्रिब्यून' में लगातार तीन सप्ताह तक एक नोटिस प्रकाशित किया गया था। .9, 16 और 23 अप्रैल, 1976 को 6 मई, 1976 तक आपत्तियाँ आमंत्रित की गईं। यह केवल पंजाब सरकार के राजपत्र में है कि अधिसूचना 7, 14 और 21 मई, 1976

को प्रकाशित की गई थी, जिसमें 5 मई, 1976 तक आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं, यानी आपत्तियां दर्ज करने की अवधि समाप्त होने के बाद अधिसूचना पंजाब सरकार के राजपत्र में की गई थी। यह भी तर्क दिया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 38 के तहत विकास योजना के तहत आने वाली अचल संपत्ति के मालिकों और कब्जाधारियों को व्यक्तिगत नोटिस दिए गए थे, जिसमें उन्हें उक्त योजना के तहत आने वाली भूमि के विवरण के साथ भूमि अधिग्रहण के बारे में सूचित किया गया था और आमंत्रित किया गया था। उनकी आपत्तियाँ नोटिस की सेवा की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर दर्ज की जानी हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 2 और अन्य यानी भूमि के मालिकों ने भूमि के अधिग्रहण के साथ-साथ प्रस्तावित योजना के खिलाफ अपनी आपत्तियां विधिवत प्रस्तुत कीं और उन पर निर्धारित प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया। आपत्तियों की सुनवाई के बाद, राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना को मंजूरी देते हुए एक अधिसूचना जारी की गई और यह भी कहा गया कि यह ट्रस्ट उक्त योजना को क्रियान्वित करने के लिए तुरंत आगे बढ़ेगा। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि इन परिस्थितियों में, प्रतिवादी नंबर 2 और अन्य के वकील द्वारा उठाई गई आपत्तियां किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण पूरी तरह से अस्थिर हैं।

यहां यह उल्लेख करना सुविधाजनक है कि मुआवजे का निर्धारण करने वाला पुरस्कार 1980 में पारित किया गया था और 32 लाख रुपये का मुआवजा पहले ही भुगतान किया जा चुका था। सड़कों और फुटपाथों के निर्माण पर 2.30.465.08 रुपये खर्च किये गये। सडकों पर प्रकाश व्यवस्था के लिए 1,12,217.24 रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च की गई। सीवरेज उद्देश्यों के लिए पंजाब जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड को 3 लाख रुपये की एक और राशि का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, योजना के कार्यान्वयन के लिए 38,42,682.35 रुपये की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी थी (सेवेरा) भूखंड पहले ही खुली नीलामी में बेचे जा चुके थे। अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ भी लंबित है। इस संदर्भ में हमें प्रतिवादी नंबर 2 और अन्य के विद्वान वकीलों द्वारा उठाए गए विवाद पर विचार करना है। पंजाब नगर सुधार अधिनियम, 1922 की धारा 24 और 28 के तहत, अपीलकर्ता ट्रस्ट द्वारा आक्षेपित विकास योजना तैयार की गई थी। इस योजना को अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित किया गया था, जहां तक कि अप्रैल, 1976 में लगातार तीन हफ्तों में समाचार पत्र 'ट्रिब्यून' में योजना के प्रकाशन के बाद 5 मई तक आपत्तियां आमंत्रित की गईं। 1976 उक्त धारा के प्रावधानों के बिल्कुल अनुरूप है। हालाँकि, लगातार तीन सप्ताह में प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना इस योजना के खिलाफ आपत्तियाँ दर्ज करने की अवधि समाप्त होने के बाद की गई थी। प्रतिवादी नंबर 2 और अन्य की ओर से यह विवाद का विषय रहा है कि इसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, योजना के खिलाफ आपत्तियां दर्ज करने का उनका अधिकार शून्य हो गया।हमारी स्विचारित राय में यह तर्क पूरी तरह से योग्यता से

रहित है क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा 38 के तहत कथित तौर पर व्यक्तिगत नोटिस उक्त योजना के अंतर्गत आने वाली और अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के सभी मालिकों और कब्जाधारियों को विधिवत दिए गए थे और प्रतिवादी नंबर 2 और अन्य ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कीं। प्रतिवादी नंबर 2 और अन्य को सुनने के बाद उक्त आपत्तियों पर विधिवत विचार किया गया और राज्य सरकार द्वारा योजना को मंजूरी देते हुए नोटिस जारी किया गया। इन परिस्थितियों में, प्रतिवादी नंबर 2 और अन्य के लिए केवल इस दलील पर योजना को चुनौती देना उचित नहीं है कि राजपत्र अधिसूचना विधिवत प्रकाशित नहीं की गई थी। उक्त अधिनियम की धारा 38 के साथ पठित धारा 36 के प्रावधान का विधायी उद्देश्य प्रस्तावित योजना से प्रभावित मालिकों और कब्जाधारियों को न केवल योजना के खिलाफ बल्कि योजना के अंतर्गत आने वाली उनकी भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ भी आपत्तियां दर्ज करने का उचित अवसर प्रदान करना है। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए न केवल सरकारी राजपत्र और समाचार पत्र में अधिसूचनाएं प्रकाशित की जानी हैं, बल्कि प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को योजना के अंतर्गत आने वाले भूमि के भूखंडों के विवरण के साथ व्यक्तिगत नोटिस भी दिए जाने हैं और इस दृष्टि से अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। उन्हें योजना के साथ-साथ उनकी भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण के खिलाफ आपत्तियां दर्ज करने का पर्याप्त अवसर देना। इसलिए, यह तर्क देना समझ से परे है कि आपत्तियां दर्ज करने की तारीख की समाप्ति से पहले

सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित नहीं करने से उक्त अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों का पालन न करने से संपूर्ण विकास योजना का प्रकाशन अवैध और खराब हो जाता है। हमारी सुविचारित राय में उपरोक्त तर्क इस साधारण आधार पर बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 2 और अन्य को धारा 38 के तहत विधिवत नोटिस दिए गए थे और उन्होंने उस नोटिस के अनुसार अधिग्रहण के साथ-साथ योजना के खिलाफ अपनी आपत्तियां भी दर्ज की थीं। . प्रोफेसर जोध सिंह और अन्य बनाम जुलुंदुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जुलुंदुर और अन्य (सुप्रा) में रिपोर्ट की गई पूर्ण पीठ का निर्णय इस मामले पर लागू नहीं है क्योंकि उस मामले में उक्त अधिनियम की धारा 38 के तहत दायर की गई आपत्तियां गलत थीं। सभी पर विचार किया गया और उसके बाद सरकार ने योजना को मंजूरी देते हुए उक्त अधिनियम की धारा 42 के तहत एक अधिसूचना जारी की। मामले को ध्यान में रखते हुए, उक्त निर्णय का तत्काल मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

इन परिस्थितियों में, सभी पहलुओं पर विचार करते हुए हम मानते हैं कि विचारण अदालतों का निर्णय कानून की दृष्टि से पूरी तरह से अस्थिर है और इस तरह वे रद्द किए जाने योग्य हैं। इसलिए, हम विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले को रद्द कर देते हैं और विचारण अदालतों के आदेशों को रद्द करते हुए अपील की अनुमित देते हैं। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

जी एन

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।